भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 1554

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नमो ड्रोन दीदी योजना की विशेषताएं

1554. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमो ड्रोन दीदी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इसके स्वीकृत बजट की राज्यवार सूची क्या है;

(ग) इस योजना के लाभार्थियों, अर्थात् वर्ष 2024-25 के लिए जिन महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया गया है, की संख्या कितनी है;

(घ) ऐसे संकुल, जहाँ कृषि-सेवाएँ प्रदान करने के लिए ड्रोन की मांग है, किस प्रकार स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ङ) छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे संकुलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15,000 ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, दक्षता सुधारने, फसल उपज बढ़ाने और ऑपरेशन की लागत कम करने के लिए कृषि में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना और एसएचजी को ड्रोन सेवा प्रदाताओं के रूप में सशक्त बनाना है ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके और उन्हें आजीविका सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत, चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन पैकेज की लागत के 80% की दर से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) अधिकतम 8.00 लाख रुपये तक प्रदान की जाती है। ड्रोन पैकेज के भाग के रूप में एसएचजी के सदस्यों में से एक सदस्य को 15 दिन का प्रशिक्षण और एसएचजी के अन्य सदस्य/परिवार के सदस्य को 5 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए हैं। इन 1094 ड्रोनों में से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत वितरित किए गए हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अधिकृत विभिन्न रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों (आरपीटीओ) में ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। 1094 ड्रोनों का राज्य-वार वितरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

राज्य स्तरीय समिति, जिसमें राज्य के कृषि/कृषि अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, दीनदयाल अंत्योदय योजना के राज्य मिशन निदेशालय - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राज्य सहकारिता विभाग, अग्रणी बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य के लिए नामित प्रमुख उर्वरक कंपनी (एलएफसी) के प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के सदस्य शामिल हैं, ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त क्लस्टर्स के चयन, ड्रोन प्रदान करने के लिए चिह्नित समूहों में राज्यों में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगतिशील महिला एसएचजी का चयन, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला एसएचजी के सदस्यों का चयन, जिला-वार ड्रोन उपयोग का आकलन, मौजूदा अंतराल की पहचान, ड्रोन उपयोग की उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताएं, एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों के समन्वय में चयनित महिला एसएचजी को व्यवसाय प्रदान करना/सुनिश्चित करना आदि के लिए उत्तरदायी है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा समूहों के चयन के लिए सुझाए गए व्यापक मानदंड इसमें 10-15 गांवों/ग्राम पंचायतों के क्लस्टर, कपास, धान, गन्ना, मिर्च, गेहूं, बाग, वृक्षारोपण आदि फसलों के अंतर्गत 1000-1200 हेक्टेयर का सन्निहित क्षेत्र, बड़े एफपीओ वाले क्लस्टर, बड़े सिंचित क्षेत्र वाले क्लस्टर और अधिक उर्वरक और कीटनाशक खपत वाले क्लस्टर शामिल हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2023-24 में एलएफसी द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए ड्रोनों की राज्य-वार संख्या और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रदान किया गया ड्रोन पायलट प्रशिक्षण

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**वितरित ड्रोनों की संख्या**	**ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	108	108
2.	असम	28	28
3.	बिहार	32	32
4.	छत्तीसगढ	15	15
5.	गोवा	1	1
6.	गुजरात	58	58
7.	हरियाणा	102	102
8.	हिमाचल प्रदेश	4	4
9.	जम्मू-कश्मीर	2	2
10.	झारखंड	15	15
11.	कर्नाटक	145	145
12.	केरल	51	51
13.	मध्य प्रदेश	89	89
14.	महाराष्ट्र	60	60
15.	उड़ीसा	16	16
16.	पंजाब	57	57
17.	राजस्थान	40	40
18	तमिलनाडु	44	44
19.	तेलंगाना	81	81
20.	उत्तर प्रदेश	128	128
21.	उत्तराखण्ड	3	3
22.	पश्चिम बंगाल	15	15
योग		**1094**	**1094**

*****